न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू—अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 303/2022

जीसीएमएस नं. :— 2022/431

प्रार्थी :—
कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :—
सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित : **दर्ज तारीख :— 05.12.2022**
श्री रामदयाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 15.01.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:— ग्राम खांगटा पटवार हल्का खांगटा भू. अभिलेख निरीक्षक कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.7313 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 439 रकबा 2.1924 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 440 रकबा 1.3591 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 441 रकबा 2.7263 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 442 रकबा 3.8185 हैक्टयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 11.8276 भूमि आई हुई हैं। जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं. नया 1155 व खाता सं. पुराना 61 पर इन्द्राजसुदा हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/4 वां हक हिस्सा निहीत हैं। जिसे आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा । प्रार्थी का नाम पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, अंकतालिका व अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमानराम दर्ज हैं। जबकि जो प्रार्थी के नाम ग्राम खांगटा में स्थित भूमियों में नाम कोलाराम पुत्र हनुमानराम दर्ज हैं। कोलाराम व कैलाश चन्द्र दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में कोलाराम कहे जाने से इनके नाम से जो भूमियां दर्ज है उक्त भूमियों में कोलाराम नाम दर्ज हो गया जबकि पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, अंकतालिका व अन्य सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमानराम दर्ज हैं। प्रार्थी कैलाश चन्द्र अपने नाम की जो राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज में त्रूटि हुई है उस त्रूटि को दुरूस्त करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयो में रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर कोलाराम पुत्र हनुमानराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कैलाश पुत्र हनुमानराम दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष हित प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि कोलाराम पुत्र हनुमानराम के स्थान पर कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमानराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम खांगटा की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 438, 439, 440, 441, 442 कुल खसरा 5 कुल रकबा 11.8276 हैक्टयर में दर्ज नाम कोलाराम पुत्र हनुमानराम के स्थान पर कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमानराम किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने भी इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खांगटा की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 438, 439, 440, 441, 442 कुल खसरा 5 कुल रकबा 11.8276 हैक्टयर में दर्ज नाम कोलाराम पुत्र हनुमानराम के स्थान पर कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमानराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 15.01.2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर